कार्यालय जिलाधिकारी खीरी
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः–1156 / उपखनिज / ड्रेजिंग बालू / 2020 दिनांक 27 मई, 2020

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद लखीमपुर खीरी तहसील धौरहरा ग्राम कोड़री सैनापुर में शारदा नदी में की गई ड्रेजिंग के फलस्वरूप स्थल से (ड्रेज्ड मैटेरियल) साधारण बालू निकला है, जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 758 / 86–2070–07(सा0) / 2019 दिनांक 19.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से बालू हटाये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है। उक्त के क्रम में **दिनांक 09.06.2020 से 17.06.2020 को सायं 5:00** बजे तक क्षेत्र से बालू हटाये जाने हेतु **etender.up.nic.in** पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटीरियल (साधारण बालू) का विवरण :–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम / खण्ड संख्या	खनिज का नाम	नदी का नाम	एकत्रित बालू की मात्रा घनमीटर में	साधारण बालू की प्रचलित दर घनमीटर में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य का 25: अर्नेस्ट मनी रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धौरहरा	कोडरी सैनापुर	साधारण बालू	शारदा	61000	55.00	3355000	838750

2– ड्रेज्ड भण्डारित बालू हटाने की अवधि 06 माह तक मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।

3– कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
भण्डारित स्थल का नाम / ग्राम–

ड़ निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0 (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा– वोटरआईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली बिल / बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म / कम्पनी / निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

च. खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगीं।

छ. एकत्रित किये गये बालू की मात्रा(घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर रू0 55 से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी खीरी के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगीं। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति–ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगी उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

झ. उस जिले के जिलाधिकारी, से जारी चरित्र प्रमाणपत्र जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है।

ञ. पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

4– ई–निविदा आमंत्रण सूचना **दिनांक 09.06.2020 से 17.06.2020 को सायं 5:00** बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल **htpp://etender.up.nic.in** पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5– विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्यदिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात दिनांक **18.06.2020** को अपरान्ह 3:00 बजे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

6– बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 03 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखो की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व जमा करना होगा तथा बैक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

7– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

8– जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

9– भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

10. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 03 कार्य दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिये कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नही होगी।

11. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नही होगी।

12. ई–निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

13. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

14. मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

15. नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रू0 55.00 प्रति घनमीटर है।

16. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।

17. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एकत्र बालू को आवेदक एकत्रित स्थान से 05 कि0मी0 क्षेत्र के अन्दर भण्डारित कर सकता है तथा भण्डारित स्थान के बारे में सम्पूर्ण सूचना विभाग को देगा।
18. निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक **18.06.2020** को अपरान्ह 3:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
19. सफल निविदादाता को देय निविदा धनराशि पर 2 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत जिला खनिज न्यास निधि देय होगी।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, खीरी।

पत्र संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी0डी0 सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, भूतत्व एवं खनिकर्म,।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, खीरी को जिले की वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी खीरी।
8. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद खीरी को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
9. खान निरीक्षक खीरी।
10. नजिर सदर कलेक्ट्रेट खीरी को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11. प्रधान ग्राम पंचायत कोड़री सैनापुर को तहसीलदार धौरहरा के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि वांछित विज्ञप्ति / सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,खीरी।